रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 1995/ज्येष्ठ 5, 1917
No. 220] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 1995/JYAISTHA 5, 1917

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 1995

सा.का.नि. 426(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं.आ. 159"

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 1995

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 1995 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 1995 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उनके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

राज्य	करोड़ों में रुपये
1. आंध्र प्रदेश	483.47
2. अरुणाचल प्रदेश	136.60
3. असम	342.20
4. बिहार	257.72
5. गोवा	38.98
6. हिमाचल प्रदेश	353.11
7. जम्मू-कश्मीर	535.39
8. मणिपुर	157.43
9. मेघालय	143.83
10. मिजोरम	147.25
11. नागालैंड	233.04
12. उड़ीसा	192.87
13. राजस्थान	33.45
14. सिक्किम	48.05
15. त्रिपुरा	218.92
16. उत्तर प्रदेश	683.40

(2) संबद्ध राज्यों की वास्तविक वसूली की दशा में, 1 अप्रैल, 1995 को प्रारंभ होने वाल वित्तीय वर्ष के दौरान खानों और खनिजों पर स्वामित्व, वित्त आयोग द्वारा कल्पित रकम से अधकि है तो 1 अप्रैल, 1996 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में संबद्ध राज्यों को संदेय अनुदान में से उपयुक्त कटौती की जाएगी ।

(3) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के प्रत्येक परंतुक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होगी।

4. संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 1990, 1 अप्रैल, 1995 से निरसित हो जाएगा।

शंकर दयाल शर्मा
राष्ट्रपति।

[फा. 19(3)/95-वि-1]
के. एल. मोहनपुरिया, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 1995

G.S.R. 426(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C.O. 159"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 3 ORDER, 1995

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 1995.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year

commencing on the 1st day of April, 1995 as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified below the sums specified against it :—

	State	(Rs. in Crores)
1.	Andhra Pradesh	483.47
2.	Arunachal Pradesh	136.60
3.	Assam	342.20
4.	Bihar	257.72
5.	Goa	38.98
6.	Himachal Pradesh	353.11
7.	Jammu and Kashmir	535.39
8.	Manipur	157.43
9.	Meghalaya	143.83
10.	Mizoram	147.25
11.	Nagaland	233.04
12.	Orissa	192.87
13.	Rajasthan	33.45
14.	Sikkim	48.05
15.	Tripura	218.92
16.	Uttar Pradesh	638.40

(2) In case the actual realisation of the concerned States from royalty on mines and minerals during the financial year commencing on the 1st day of April, 1995 is higher than that assumed by the Finance Commission then suitable reduction will be made, in the financial year commencing on 1st April, 1996, in the grants payable to the concerned States.

(3) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

4. The Constitution (Distribution of Revenue) No. 3 Order, 1990 shall, as from the 1st day of April, 1995, stand repealed.

SHANKER DAYAL SHARMA
President.

[F. 19(3)/95-L. I]
K. L. MOHANPURIA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995